न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

बइजलास :– तारामती वैष्णव (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र क्रमांक– 8/13

1. भंवरलाल पुत्र पांथू
2. घनश्याम पुत्र पांथू
3. कैलाशी पुत्री पांथू
4. चन्द्र कान्ति पुत्री पांथू
5. मांगीलाल पुत्र माधो
6. राधेश्याम पुत्र माधो
7. नन्दकिशोर पुत्र माधो
8. मन्नी बाई पुत्री माधो
9. छीता बाई पुत्री माधो
10. कान्हा पुत्र कालू जाति माली निवासीगण खेडा भोपाल तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

आदेश दिनांक–13.03.2018

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रतिपक्षी अन्तर्गत धारा 136 के तहत पेश कर कथन किया है कि ग्राम खेडा भोपाल तहसील दीगोद में ख0नं0 46 रकबा 3.83 हे0, ख0नं0 48 रकबा 0.51 हे0, ख0नं0 49 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 52 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.99 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खाता सरकार खेल भराई में उप कृषक प्रार्थीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज पूर्व में ग्राम खेडा भोपाल में खेल भराई का काम करते थे जिसकी एवज में उपरोक्त भूमि काश्त हेतु दी गई थी। जिसको प्रार्थीगण के पूर्वज व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है और खेल भराई का काम करते चले आ रहे है। इस कारण उक्त भूमि के

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से शांति पूर्वक चला आ रहा है व खेल भराई का काम करते चले आ रहे है और इस कारण उक्त भूमि खाता सरकार खेल भराई उपकृषक हटाया जाकर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वैसे भी वर्तमान में राज्य सरकार व उच्च न्यायालयों द्वारा अपनें निर्णय में माफी मंदिर, खेल भराई व पुन्यार्थ की भूमि को उप कृषक/पुजारी के नाम दर्ज किये जानें के निर्देश व आदेश पारित किये है। जिसकी पालना में उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खाता सरकार खेल भराई उपकृषक हटाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी से दिनांक 30.10.2012 को निवेदन करनें पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खाता सरकार खेल भराई उपकृषक हटाया जाना व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जानें का आदेश प्रदान किया जावें व राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किये जानें की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रतिपक्षी न. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया हैं कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्षो पूर्व से लगातार वादग्रस्त भूमि पर काश्त करनें के कारण वादग्रस्त भूमि पर से खाता सरकार उपकृषक हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश प्रदान करनें बाबत् निवेदन किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में कब्जा अथवा काश्त के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किये जानें के प्रावधान नहीं है। वरन उक्त अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत दस्तावेंज रिकॉर्ड में पूर्व में दर्ज इन्द्राजात् के मुकाबलें वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत (त्रुटि) इन्द्राजों का दुरूस्त किये जानें का प्रावधान है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधानों के विपरीत होनें से निरस्त योग्य है। इस प्रकार जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होनें से निरस्त किये जानें का निवेदन किया।

दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रार्थीगण द्वारा निम्न दस्तावेजात पेश किये–

1. प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम खेडा भोपाल सं0 2066–69 खाता नं0 13

हमने पक्षकारान् को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त अवसर दिये। बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण तथा पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौरानै बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण नें प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये।

इसके विपरीत पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के कथनो को ही दौहराया तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पर विधिक विचार किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम खेडा भोपाल सं0 2066–69 खाता नं0 13 पर विवादित भूमियां स्थित चली आ रही है जो खाता सरकार खेल भराई उपकृषक– भंवरलाल धनश्याम पुत्रान कैलासी चन्द्र कान्ति पुत्रियां पांथू हि0 1/7 माधो कान्हा पुत्रान कान्ही निवासी नारायणी हीरा पुत्रियां कालू हि0 6/7 जाति माली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में मात्र सं0 2066–69 की जमाबंदी प्रस्तुत की गई है, इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र में वांछित रिलीफ के क्रम में समुचित विचारण किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते है कि प्रार्थीगण के हितो के विपरीत किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में की गई हो तथा उसे राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्व किया जा सकता हो नहीं पाई जाती हैं क्योकि धारा 136 में स्पष्ट उल्लेखित है कि *"भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति*

से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।'

वस्तुतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में गलतियों का शुद्धिकरण मात्र है। इस प्रकार 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा की गई त्रुटियों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

वैसे भी प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथीग्ण खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख–भण्डार हों।

निर्णय आज दिनॉक 13/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद (कोटा)